राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.15(5)वि.मा./2012/पार्ट जयपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

आदेश

विभिन्न विभाग/संस्था/निकाय एवं राजकीय उपक्रमों के Fixed Deposit, Salary Account एवं विभिन्न योजनाओं की राशि जमा/विनियोजन हेतु विभिन्न बैंकों में खाता खोलते समय उक्त बैंक की साख एवं वित्तीय स्थिति को देखना अति आवश्यक है। किसी भी बैंक में सरकारी धन रखने से पहले उस राशि पर प्राप्त ब्याज के साथ–साथ यह भी देखना आवश्यक है कि उक्त राशि सुरक्षित है अथवा नहीं तथा उस बैंक के साथ कार्य करना कितना आसान है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर पूर्व में भी निर्देश जारी किये गये हैं। इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.07.2018 में उल्लेखित विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की निधियों के जमा एवं निवेश के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में बैंकों में निधियों की जमा व निवेश सम्बन्धी पूर्व में जारी समसंख्यक स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 16.10.2020 विषयक के अधिक्रमण (Supersession) में बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. किसी भी विभाग/राजकीय उपक्रम/राजकीय स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही बैंक खाते खोले जा सकेगें।
2. बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी Public Sector Bank, Private Sector Bank And Small Finance Bank की सूची (Schedule) में होना आवश्यक है।
3. बैंक का राज्य सरकार के Integrated Financial Management System से Integration कराना आवश्यक होगा। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (CSS) के अन्तर्गत खोले जाने वाले Single Nodal Account (SNA) हेतु भी IFMS से खाते का Integration करते हुए केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 30.07.2021 के अनुसरण में मॉडल संख्या 4 के अनुसरण में PFMS की सूचना IFMS के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी।
4. उपरोक्त बिन्दु सख्या (2) एवं (3) के आधार पर Eligible Banks की सूची वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की जाएगी। उक्त सूची में से विभाग/संस्था/निकाय एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा बैंकों का चयन निम्न बिन्दुओं के आधार पर विभागों द्वारा निम्नानुसार प्राथमिकता देते हुए किया जाएगाः–

(a) बैंकों द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय योजनाओं यथा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना इत्यादि में लक्ष्यों की पूर्ति।

(b) बैंक की Priority Sector lending में Performance.

(c) बैंको द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता स्थिति (Quality of Service).

E:\Ways and Means Data\all letter\letter 2 (1).docx

(d) राज्य में अपना मुख्यालय स्थापित करने वाले बैंकों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में वित्त विभाग द्वारा बैंकों में निवेश/रखी जा रही राशि में से निश्चित प्रतिशत/राशि को विनिश्चित किया जावेगा। इस अनुरूप योजनाओं का चिन्हीकरण कर बैंकों में खाता खोलने हेतु वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों को निर्देश जारी किये जा सकेगें।

(e) वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों की Outreach राजकीय योजनाओं में Participation तथा सेवा की गुणवत्ता (Quality of Service) के दृष्टिगत विभागों को विभिन्न योजनाओं के खाते के लिए बैंक विशेष का चयन कर खाता खोलने के लिए निर्देशित किया जा सकेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं पर राज्य सरकार की अपेक्षानुसार कार्य न करने की स्थिति में वित्त विभाग द्वारा संबंधित बैंक को Empanelled Banks की सूची में हटाया जा सकेगा तथा पूर्व में संचालित खाते/खातो के लिए वित्त विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग/विभागों को इन्हें बन्द करने या अन्य बैंक में स्थानान्तरित करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

Empanelled Banks की सूची का आदेश परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है तथा ऐसे बैंक जिनके मुख्यालय राज्य में स्थापित है, इन बैंक/बैंकों हेतु निवेश की जाने वाली न्यूनतम राशि से संबंधित आदेश परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। उपरोक्त दोनों परिशिष्ट में समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

समस्त विभागों द्वारा इस आदेश की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। इस हेतु पूर्व में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा खोले गये बैंक खातो की विस्तृत सूचना परिशिष्ट 'स' पर संलग्न प्रारूप में दिनांक 30.10.2021 से पूर्व वित्त (मार्गोपाय) विभाग को Email id dswm@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही भविष्य में खोले जाने बैंक खातो के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाऐगी।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

E:\Ways and Means Data\all letter\letter 2 (1).docx

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्य मंत्रीगण।
6. शासन सचिवालय के समस्त नियम अनुभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संबंधित संस्थायें, राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

E:\Ways and Means Data\all letter\letter 2 (1).docx

परिशिष्ट– 'अ'

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.15(5)वि.मा./2012/पार्ट   जयपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

<u>*आदेश*</u>

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.2021 में वर्णित बैंको में खाता खोलने के निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 के क्रम में Eligible Banks की सूची निम्न प्रकार है:–

I	**Public Sector Banks**
1	Bank of Baroda
2	Bank of India
3	Bank of Maharashtra
4	Canara Bank
5	Central Bank of India
6	Indian Bank
7	Indian Overseas Bank
8	Punjab & Sind Bank
9	Punjab National Bank
10	State Bank of India
11	UCO Bank
12	Union Bank of India
II	**Private Sector Bank**
1	Axis Bank Ltd.
2	Bandhan Bank Ltd.
3	CSB Bank Limited
4	City Union Bank Ltd.
5	DCB Bank Ltd.
6	Dhanlaxmi Bank Ltd.
7	Federal Bank Ltd.
8	HDFC Bank Ltd
9	ICICI Bank Ltd.
10	Indusind Bank Ltd
11	IDFC FIRST Bank Limited

12	Jammu & Kashmir Bank Ltd.
13	Karnataka Bank Ltd.
14	Karur Vysya Bank Ltd.
15	Kotak Mahindra Bank Ltd
16	Lakshmi Vilas Bank Ltd.
17	Nainital bank Ltd.
18	RBL Bank Ltd.
19	South Indian Bank Ltd.
20	Tamilnadu Mercantile Bank Ltd.
21	YES Bank Ltd.
22	IDBI Bank Limited
III	**Small Finance Banks (SFB)**
1	Au Small Finance Bank Ltd.
2	Capital Small Finance Bank Ltd
3	Fincare Small Finance Bank Ltd.
4	Equitas Small Finance Bank Ltd
5	ESAF Small Finance Bank Ltd.
6	Suryoday Small Finance Bank Ltd.
7	Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
8	Utkarsh Small Finance Bank Ltd.
9	North East Small finance Bank Ltd
10	Jana Small Finance Bank Ltd
11	Shivalik Small Finance Bank Ltd

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

परिशिष्ट– 'ब'

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक प.15(5)वि.मा./2012/पार्ट जयपुर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021

<u>*आदेश*</u>

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.2021 के बिन्दु संख्या 4 (d) के क्रम में उन बैंको के लिए जिनके मुख्यालय राजस्थान राज्य में स्थित है, उन बैंकों में निवेश/रखी जाने वाली राशि न्यूनतम रू. 1000 करोड का विनिश्चय किया जाता है। यह सीमा समय–समय पर समीक्षा (review) की जाकर संशोधित की जा सकेगी। इसकी पात्रता रखने वाले बैंक/बैंकों का नाम व खोले जाने वाले खाते/खातो का विवरण पृथक से जारी किया जावेगा।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

E:\Ways and Means Data\all letter\letter 2 (1).docx

परिशिष्ट–'स'

विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा पूर्व में खोले गये बैंक खातो की सूचना हेतु प्रारूप

क्र. स.	विभाग का नाम	विभाग में संचालित कुल बैंक खातो की संख्या	योजना का नाम	बैंक का नाम मय शाखा	IFSC CODE	खाता क्रमांक	30.09.2021 को खाते में उपलब्ध राशि	बैंक में जमा राशि के उदेश्य संक्षिप्त विवरण सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोटः–

(i) यह सूचना में योजनाओं (केन्द्र प्रवर्तित/राज्य प्रवर्तित), अन्य उपयोग हेतु जैसे वेतन व अन्य भुगतानों हेतु, भविष्य निधियों के फण्डस तथा अधिशेष फण्डस की सावधि जमा (fixed deposits) व स्वयं की अर्जित आय की राशियों को बैंक खातों में रखे जाने की सूचना पृथक–पृथक बैंक खातेवार उपलब्ध कराई जावेगी।

(ii) सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा अपनी अधीनस्थ समस्त संस्थाओं की सूचना एकत्र कर वित्त विभाग को उपलब्ध करवायेंगे।